

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-305/16 श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

199

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा/कटिहार/मोतिहारी ।

पटना, दिनांक :-

30-3-17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26
-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-P-2230011030103)के
अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय संशोधित स्वीकृत्यादेश संख्या-1249 दिनांक 29.03.17 के
आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित "बाल
श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रू. 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक
की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	विषयशीर्ष	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	दरभंगा	4	20000	श्रम अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 285 दिनांक- 21.03.17 के आलोक में ।
2	तदैव	कटिहार	4	20000	श्रम अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक 192 दिनांक- 20.03.17 के आलोक में ।
3	तदैव	मोतिहारी	21	105000	श्रम अधीक्षक, मोतिहारी के पत्रांक-217 दिनांक- 18.3.17 के आलोक में ।
कुल योग			29	145000	

कुल आवंटित राशि ₹ 1,45,000/- (₹ एक लाख पैंतालीस हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर किया जाय।
- आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

30/03/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-305/16 श्र0सं0-

199

पटना, दिनांक

30-3-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

30/03/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-305/16 श्र0सं0-

199

पटना, दिनांक

30-3-17

*स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक / प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.-98 (श्रम पक्ष) दि.-29.3.17 के आलोक में/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

30/03/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0-

199

पटना, दिनांक

30-3-17

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/03/17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।